सत्यमेव जयते

भारत दूरसंचार

DOT

INDIA TELECOM

सावधान !

मोबाइल हैंडसेट IMEI धोखाधड़ी से बचें!

अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपस्कर पहचान संख्या (IMEI) को बदलना या परिवर्तित करना, गंभीर अपराध !

दूरसंचार अधिनियम 2023 के प्रावधान 42(3) (c) एवं (f) के अनुसार जो कोई भी, IMEI के साथ छेड़छाड़ करता है या जानबूझकर ऐसा अप्राधिकृत या परिवर्तित IMEI का रेडियो उपकरण (मोबाइल हैंडसेट) रखता है, उसे **तीन साल तक की सजा या 50 लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनों से** दंडित किया जा सकता है।

आपका मोबाइल हैंडसेट, आपकी ज़िम्मेदारी !

दूरसंचार अधिनियम 2023 के प्रावधान 42(3) (c) एवं (f) के अनुसार :

- मोबाइल हैंडसेट का IMEI बदलना या परिवर्तित करना अपराध है।
- अप्राधिकृत IMEI वाले मोबाइल हैंडसेट का उपयोग करना अपराध है।

निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं का रखें, ध्यान !

- केवल प्राधिकृत IMEI वाला ही मोबाइल हैंडसेट खरीदें।
- मोबाइल हैंडसेट खरीदते समय *#06# डायल कर IMEI जांच करें एवं मोबाइल हैंडसेट बॉक्स/ बिल पर लिखे IMEI से मिलान करें।
- मोबाइल हैंडसेट खरीदते समय संचार साथी ऐप/पोर्टल से प्राधिकृत IMEI की जांच अवश्य करें।
- यदि मोबाइल हैंडसेट का उपयोग किसी आपराधिक गतिविधि में होता है तो उसमें आप पर भी संदेह हो सकता है।
- किसी दूसरे व्यक्ति को मोबाइल हैंडसेट हस्तांतरित करते समय उससे हैंडसेट का मेक, मॉडल एवं IMEI लिखी हुई रसीद जरूर प्राप्त कर लें।
- मोबाइल हैंडसेट खो जाने की स्थिति में तुरंत संचार साथी ऐप/पोर्टल पर मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक करें।

GET IT ON Google Play

https://sancharsaathi.gov.in

संचार साथी ऐप एवं पोर्टल

मोबाइल हैंडसेट IMEI की जांच करें !

SANCHAR SAATHI

Download on the App Store

गुम या चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करें।
साइबर फ्रॉड रोकने में भागीदार बने !

अपर महानिदेशक (दूरसंचार)
उत्तर प्रदेश (पूर्व) लाइसेंस सेवा क्षेत्र, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय,भारत सरकार

सत्यमेव जयते

भारत दूरसंचार

INDIA TELECOM

सावधान !

मोबाइल सिम धोखाधड़ी से बचें!

जाली दस्तावेज़ों से सिम लेना है, गंभीर अपराध !

दूरसंचार अधिनियम 2023 के प्रावधान 42(3)(e) के अनुसार जो कोई छल, कपट, प्रतिरुपण से सिम कार्ड प्राप्त करता है, उसे **तीन साल तक की सजा या 50 लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनों** से दंडित किया जा सकता है।

आपका सिम, आपकी ज़िम्मेदारी !

दूरसंचार अधिनियम 2023 के प्रावधान 29 (a) के अनुसार सिम कार्ड या अन्य दूरसंचार सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु :

- कोई महत्वपूर्ण जानकारी न छिपायें।
- कोई मिथ्या ब्योरा न दें।
- किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण न करें।

निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं का रखें, ध्यान !

- सिम कार्ड केवल अपने वैध पहचान-पत्र (आई० डी० प्रूफ) से ही खरीदें।
- एक व्यक्ति सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से देश में कुल मिलाकर 9 से अधिक सिम कार्ड नहीं ले सकता।
- सिम कार्ड विक्रेता यदि बार-बार आपके अंगूठे का निशान (थम्ब इंप्रेशन) ले रहे हैं या बार-बार ओटीपी ले रहे हैं, तो सावधान हो जाएं, ऐसा करके आपके नाम पर कई सिम कार्ड जारी किए जा सकते हैं- यह भी एक बड़ी धोखाधड़ी है।
- किसी अन्य व्यक्ति के लिए अपने पहचान-पत्र (आई० डी० प्रूफ) से सिम कार्ड न खरीदें।
- दूसरे व्यक्ति को अपना सिम कार्ड इस्तेमाल न करने दें – यदि उस सिम कार्ड का उपयोग किसी आपराधिक गतिविधि में होता है तो उसमें आपकी भी संलिप्तता मानी जा सकती है।
- सिम कार्ड खो जाने की स्थिति में, अपने दूरसंचार सेवा प्रदाता से सिम कार्ड तुरंत निष्क्रिय करवाएं।

GET IT ON Google Play

https://sancharsaathi.gov.in

संचार साथी ऐप एवं पोर्टल

अपने नाम पर जारी सभी सिम कार्ड की जांच करें !

SANCHAR SAATHI

Download on the App Store

अनावश्यक या जाली सिम कार्ड की रिपोर्ट कर उन्हें बंद करवाएँ !

साइबर फ्रॉड रोकने में भागीदार बने !

अपर महानिदेशक (दूरसंचार)

उत्तर प्रदेश (पूर्व) लाइसेंस सेवा क्षेत्र, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय,भारत सरकार